

सुरक्षा कवच

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (भारतीय रिज़र्व बैंक के संपूर्ण स्वामित्व वाली सहयोगी)



अंक २



इस अंक में शामिल

- डीआईसीजीसी ने आईएडीआई-एपीआरसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की
- शासन
- डीआईसीजीसी की पहल
- जन जागरूकता
- अपने डीआईसीजीसी को जानें
- जमा बीमा पर एक नज़र: वैश्विक दृष्टिकोण
- अंतर्राष्ट्रीय विकास और आउटरीच



संपादक की कलम से



श्री अनूप कुमार संपादक मुख्य महाप्रबंधक डीआईसीजीसी

हमें सुरक्षा कवच का दूसरा अंक जारी करते हुए प्रसन्नता हो रही है। इस अंक में डीआईसीजीसी द्वारा जन जागरूकता पहल संबंधी विशेष रिपोर्ट दी गई है। दो नई पहलों में डीआईसीजीसी की नई वेबसाइट का शुभारंभ

और दावा स्थिति ट्रैकर ऐप का शुभारंभ शामिल है। इस अवधि के दौरान डीआईसीजीसी ने 2023-24 की अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की है।

न्यूज़लेटर में डीआईसीजीसी द्वारा जयपुर में आयोजित आईएडीआई-एपीआरसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और जापान और फिलीपिंस के जमा बीमाकर्ताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकों, तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सूचना के आदान-प्रदान के हिस्से के रूप में एपीआरसी जेटीएफ बैठक संबंधी कवरेज भी शामिल है। 'अपने डीआईसीजीसी को जानें' के अंतर्गत डीआईसीजीसी संबंधी कुछ रोचक तथ्य शामिल किए गए हैं।

आपको नव वर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएँ।

डीआईसीजीसी ने आईएडीआई-एपीआरसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की

डीआईसीजीसी ने 12-14 अगस्त 2024 को जयपुर, भारत में इंटरनेशनल एसोशिएशन ऑफ डिपॉज़िट इंश्योरर्स (आईएडीआई) - एशिया पैसिफिक रीजनल किमटी (एपीआरसी) अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की, जिसका विषय था "विकसित होते वित्तीय परिदृश्य को समझना: जमा बीमाकर्ताओं के लिए उभरती चुनौतियाँ और संकट की तैयारी का महत्व।" इस सम्मेलन का उद्देश्य उभरते वित्तीय परिदृश्य और जलवायु परिवर्तन से संबंधित वित्तीय जोखिमों के संदर्भ में जमा बीमा और वित्तीय सुरक्षा कवच ढांचे के लिए चुनौतियों, निहितार्थों और दृष्टिकोण तथा संकट की तैयारी और प्रबंधन नीति के व्यापक महत्व पर विचार-विमर्श करना था।

इस सम्मेलन में आईएडीआई और एपीआरसी सचिवालय के प्रतिष्ठित प्रतिनिधियों, जमा बीमा एजेंसियों/12 देशों के केंद्रीय बैंकों में जमा बीमा विभाग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) और पदाधिकारियों, भारत और विदेशी प्रख्यात वक्ताओं, पैनलिस्ट और पैनल मॉडरेटर, भारत के चुनिंदा प्रमुख बैंकों के विरष्ठ आमंत्रितगणों, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) और डीआईसीजीसी के विरष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।





भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर और डीआईसीजीसी के अध्यक्ष, डॉ. माइकल डी. पात्र ने 'जमा बीमाकर्ताओं के लिए उभरती चुनौतियों का समाधान और संकटकालीन तैयारी की मजबूती" विषय पर अपना मुख्य भाषण दिया। उन्होंने वित्तीय सेवाओं के डिजिटलीकरण, मुद्राओं में डिजिटल नवाचारों (सीबीडीसी) और टोकनयुक्त जमाराशि से उत्पन्न अवसरों और चुनौतियों, तथा जलवायु परिवर्तन से संबंधित वित्तीय जोखिमों पर प्रकाश डाला। उन्होंने जमा बीमाकर्ताओं से आग्रह किया कि वे उभरती चुनौतियों के बारे में अपनी सामूहिक

समझ को बढ़ाएं, ताकि हम जनता का विश्वास जगाने और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए अनुकूल बनें, तैयार रहें और प्रासंगिक और सार्थक बने रहें।



भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर, श्री एम राजेश्वर राव ने 'जमा बीमा: बदलते समय के साथ तालमेल' विषय पर समापन भाषण दिया। उन्होंने इस तथ्य पर जोर दिया कि जमा बीमा और जमा बीमाकर्ता एक स्थिर और भरोसेमंद वित्तीय प्रणाली के अनिवार्य घटक हैं। नियामकों और जमा बीमा कंपनियों के लिए यह अनिवार्य हो गया है कि वे अपनी नीतियों और विनियमों को पुनः संरेखित करें, तािक बैंक बेहतर प्रबंधन कर सकें और अपनी जोखिम प्रबंधन क्षमताओं, विशेष रूप से चलनिध जोखिम प्रबंधन को बढ़ा सकें।



भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर, श्री स्वामीनाथन जे ने 'उभरते वित्तीय प्रौद्योगिकी परिदृश्य में वित्तीय स्थिरता' विषय पर व्याख्यान दिया। उन्होंने बताया कि प्रौद्योगिकी-प्रेरित प्रणालीगत जोखिम वित्तीय क्षेत्र के लिए चिंता के प्रमुख क्षेत्रों में से एक बन गया है।

उन्नत निगरानी, जोखिम-आधारित प्रीमियम, पर्यवेक्षी रेटिंग पर निर्भरता, त्वरित दावा निपटान और उद्योग सहयोग सहित सक्रिय, जोखिम-आधारित दृष्टिकोण को अपनाकर, जमा बीमाकर्ता इन जोखिमों का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर सकते हैं।



आईएडीआई की महासचिव, सुश्री ईवा हुपकेस ने <u>'डिजिटल परिवर्तन -</u> टोकनयुक्त विश्व में जमा का भविष्य' विषय पर बात की।

आईएडीआई, कार्यकारी परिषद के सभापति और अध्यक्ष, श्री अलेजांद्रो लोपेज़ ने वर्चुअल माध्यम से अपना <u>उद्घाटन भाषण</u> दिया और एपीआरसी के अध्यक्ष और डिपॉज़िट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ जापान के गवर्नर, श्री हिडनोरी मित्सुई ने विडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से अपनी प्रारंभिक टिप्पणियां प्रस्तुत की।

इस सम्मेलन में चार पैनल चर्चाएं हुईं। 'डिजिटल करेंसी युग में जमा बीमा' पर पहले पैनल ने जमा बीमा और वित्तीय स्थिरता के संदर्भ में डिजिटल नवाचार, विशेष रूप से सीबीडीसी के लाभों और चुनौतियों का पता लगाया। 'टोकनयुक्त जमाराशि' पर पैनल 2 ने जांच की कि टोकनयुक्त जमाराशियों की विशिष्ट विशेषताओं के लिए मौजूदा जमा बीमा ढांचों में अनुकूलन की आवश्यकता हो सकती है। 'जमा बीमाकर्ता और जलवायु परिवर्तन-संबंधित वित्तीय जोखिम' पर तीसरे पैनल ने वित्तीय स्थिरता और जमा बीमा पर जलवायु परिवर्तन से संबंधित वित्तीय जोखिमों के प्रभाव को समझने के लिए जारी प्रयासों पर विचार-विमर्श किया। 'जमा बीमा के लिए संकट की तैयारी और प्रबंधन नीतियों में वृद्धिः जमा बीमाकर्ताओं से केस स्टडीज' पर पैनल 4 ने जमा बीमाकर्ताओं और आरबीआई से केस स्टडीज प्रस्तुत कीं। दो प्रख्यात वक्ताओं ने 'फिनटेक में भविष्य के विकास और जमा बीमा पर इसका प्रभाव' और 'भविष्य की वित्तीय प्रणाली के रूप में 'फिनटरनेट' - कई परस्पर जुड़े वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्रों की एक व्यवस्था' विषयों पर बात की।



शासन

डीआईसीजीसी के बोर्ड में नए निदेशक

डीआईसीजीसी अपने बोर्ड सदस्यों के रूप में तीन नए निदेशकों का सगर्व स्वागत करता है। ये निदेशक हैं- श्री अर्णब कुमार चौधरी, कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, प्रो. पार्थ रे, निदेशक, राष्ट्रीय बैंक प्रबंध संस्थान (एनआईबीएम) और डॉ. तरुण अग्रवाल।







श्री अर्णब कुमार चौधरी

प्रो. पार्थ रे

डॉ. तरुण अग्रवाल

बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति की स्थापना

बोर्ड द्वारा लिए निर्णयानुसार, डीआईसीजीसी ने बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी) का गठन किया है, जिसके अध्यक्ष श्री पंकज शर्मा, संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय हैं। श्री अर्णब कुमार चौधरी, कार्यपालक निदेशक, आरबीआई, श्रीमती सुधा बालकृष्णन, मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ), आरबीआई और प्रोफेसर पार्थ रे, निदेशक, एनआईबीएम इसके सदस्य हैं। डीआईसीजीसी के मुख्य महाप्रबंधक, श्री अनूप कुमार इसके सदस्य सचिव होंगे। आरएमसीबी को सचिवीय सहायता प्रदान करने के लिए निगम द्वारा एक जोखिम प्रबंधन कक्ष की स्थापना की गई है। आरएमसीबी के विचारार्थ विषय इस प्रकार हैं:

- प्रमुख जोखिमों के शमन के लिए आंतरिक नियंत्रण ढांचे से संबंधित कार्यनीतियों और नीतियों की बोर्ड को सिफारिश करना।
- आकस्मिक योजना और संकट प्रबंधन नीतियों/कार्यपद्धतियों और उनकी प्रभावशीलता की निगरानी करना।
- संगठनात्मक संरचना, बजट, संसाधनों और आंतरिक जोखिम प्रबंधन कार्य के निष्पादन की समीक्षा करना।
- निगम की कार्यकारी जोखिम प्रबंधन समिति पर निगरानी रखना।
- कोई अन्य संबंधित मामला जो बोर्ड द्वारा सौंपा जा सकता है।

बोर्ड बैठक प्रबंधन समाधान

डीआईसीजीसी ने कागज रहित, सहयोगात्मक और सुविधाजनक तरीके से बोर्ड बैठकों के प्रबंधन के लिए एक व्यापक बोर्ड बैठक प्रबंधन समाधान लागू किया है। यह समाधान बोर्ड के सदस्यों द्वारा महत्वपूर्ण जानकारी और दस्तावेजों के सुरक्षित और निर्वाध साझाकरण के लिए डिजिटल उपकरणों को एकीकृत करता है और रियल टाइम अपडेट, एनोटेशन सुविधा, चैट विकल्प और एक सहज उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस प्रदान करता है।

डीआईसीजीसी की पहल

अध्यक्ष महोदय ने 28 अगस्त को आयोजित निगम की 272वीं बोर्ड बैठक में निम्नलिखित का शुभारंभ किया: (क) डीआईसीजीसी अर्ध-वार्षिक न्यूज़लेटर "सुरक्षा कवच" का उद्घाटन अंक; (ख) डीआईसीजीसी की वार्षिक हिंदी पत्रिका "अभिव्यक्ति" (ग) जमाकर्ताओं का दावा स्थिति ट्रैकर "दावा सूचक" और (घ) आंतरिक उपयोग के लिए क्यूआर आधारित फाइल प्रबंधन प्रणाली।





जन जागरूकता

नई वेबसाइट का उद्घाटन

डीआईसीजीसी के अध्यक्ष ने 5 नवंबर 2024 को डीआईसीजीसी की नई वेबसाइट का उद्घाटन किया। नवीनतम तकनीक की शक्ति का उपयोग करते हुए, नई जीवंत वेबसाइट एक सहज ज्ञान युक्त इंटरफ़ेस, आसान नेविगेशन और सुसंगत सूचना वास्तुकला के माध्यम से सूचना को सुव्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करती है। बेहतर उपयोगकर्ता अनुभव के लिए, ग्रेडिएंट कलर पैलेट, व्यापक आइकनोग्राफी, चित्र, वीडियो, विज्ञुअलाइज़ेशन आदि जैसे कई पहलुओं को जोड़ा गया है। इसके अलावा, विभिन्न कार्यात्मकताएँ शामिल की गई हैं, जैसे कि एआई चैटबॉट, वेबसाइट स्तर की खोज, मोबाइल ब्राउज़र के माध्यम से वेबसाइट तक पहुँच को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रोग्नेसिव वेब ऐप (पीडब्ल्यूए) तकनीक, साथ ही दिव्यांगों के लिए विभिन्न कार्य, जैसे कि टेक्स्ट मैग्निफायर, कम दृष्टि वाले लोगों की सहायता के लिए रीडिंग मास्क, डिस्लेक्सिया वाले लोगों की सहायता के लिए टेक्स्ट स्केलिंग और कंटेंट स्केलिंग। इसके अतिरिक्त, जन जागरूकता वीडियो संदेश, INR और USD दोनों में प्रमुख आँकड़े, संरचित एफ़एक्यू आदि भी शामिल किए गए हैं। इस नई वेबसाइट से सभी हितधारकों, विशेषकर बैंकिंग प्रणाली के नए/पहली बार उपयोगकर्ताओं (https://dicgc.org.in) की सूचना संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति होने की उम्मीद है।



"दावा सुचक" - दावा स्थिति टैकर

डीआईसीजीसी ने 28 अगस्त 2024 को अपनी वेबसाइट पर 'दावा सूचक' नाम से दावा स्थिति ट्रैकर लॉन्च किया। इस ऐप के ज़िरए, जमाकर्ता अपने दावे की स्थिति की जाँच कर सकते हैं। यह सुविधा वर्तमान में 1 अप्रैल 2024 से रिज़र्व बैंक के सर्व समावेशी निदेश (एआईडी) के तहत बैंकों के लिए उपलब्ध है और जल्द ही इसे परिसमाप्त बैंकों तक विस्तारित किया जाएगा।

जन जागरूकता सर्वेक्षण 2024

तकनीकी सलाहकार सिमित के मार्गदर्शन में डीआईसीजीसी द्वारा आयोजित जन जागरूकता सर्वेक्षण 2024 का उद्देश्य जमा बीमा और डीआईसीजीसी की भूमिका के बारे में जनता की समझ का आकलन करना था। एजेंसी ने पाँच भारतीय राज्यों में सर्वेक्षण फील्डवर्क किया और लगभग 5000 उत्तरदाताओं से जानकारी एकत्र की। इसने जमा बीमा, डीआईसीजीसी के कार्यों और बैंकिंग सुरक्षा के बारे में जागरूकता के विभिन्न स्तरों का खुलासा किया।

जबिक लगभग सभी उत्तरदाताओं को लगा कि उनकी बैंक जमाराशि सुरक्षित है, 73.81% जमा बीमा से परिचित थे, और 63.67% को डीआईसीजीसी के कामकाज के बारे में पता था। एक छोटा प्रतिशत अधिकतम बीमा कवरेज और प्रीमियम जिम्मेदारियों को सही ढंग से समझता था। निष्कर्ष बढ़े हुए जन जागरूकता अभियानों और बेहतर सूचना प्रसार की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं। रिपोर्ट में प्रमुख अवधारणाओं को स्पष्ट करने, बहुभाषी सामग्री की पहुँच में सुधार करने और बैंकों के साथ सहयोग को मजबूत करने के लिए लिक्षित पहलों की सिफारिश की गई है तािक यह सुनिश्चित किया जा सके कि ग्राहकों को जमा बीमा के बारे में अच्छी जानकारी हो। डीआईसीजीसी द्वारा प्रदान किए गए वित्तीय सुरक्षा कवच में जनता का विश्वास बनाने के लिए इन मुद्दों को संबोधित करना महत्वपूर्ण है।

डीआईसीजीसी वार्षिक रिपोर्ट, 2023-24

डीआईसीजीसी ने 19 सितंबर 2024 को अपनी 62वीं वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 जारी की। पहला अध्याय डीआईसीजीसी का विहंगावलोकन देता है जिसमें इसका इतिहास, कानूनी ढांचा और जमा बीमा योजना को नियंत्रित करने वाले नियम शामिल हैं। "प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण" पर दूसरे अध्याय में शासन को मजबूत करने, सूचना साझा करने में सुधार, सार्वजिनक जागरूकता बढ़ाने और डिजिटल परिवर्तन शुरू करने सिहत प्रमुख नीतिगत पहलों को रेखांकित किया गया है।

पूरी रिपोर्ट यहां उपलब्ध है (https://www.dicgc.org.in/information-corner/annual-reports) या




डीआईसीजीसी वेबसाइट टैफ़िक

सितंबर 2023 से बीमित बैंकों की वेबसाइट पर डीआईसीजीसी के क्यूआर कोड और लोगों के प्रदर्शन के परिणामस्वरूप, डीआईसीजीसी वेबसाइट पर ट्रैफ़िक में बीस गुना वृद्धि हुई है। औसतन, एक महीने में 125,000 उपयोगकर्ताओं ने वेबसाइट का दौरा किया, जिनमें से 50% नए उपयोगकर्ता थे। तीन-चौथाई से अधिक उपयोगकर्ताओं ने अपने मोबाइल डिवाइस पर वेबसाइट एक्सेस की। होमपेज के बाद सबसे ज्यादा देखे जाने वाले पेज 'बीमित बैंकों की सूची' और 'जमा बीमा के लिए गाइड' थे। जबिक भारत के अधिकांश उपयोगकर्ता (शीर्ष पांच) मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, जयपुर और अहमदाबाद शहरों से थे; अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष पांच वेबसाइट आगंतुक जर्मनी, सिंगापुर, सऊदी अरब, यूएई और यूएसए से थे।

अपने डीआईसीजीसी को जानें

डीआईसीजीसी में विभाग

शुरुआती वर्षों में, डीआईसीजीसी में चार विभाग (जमा बीमा, गैर-औद्योगिक क्रेडिट गारंटी, एसएसआई क्रेडिट गारंटी और प्रशासन और लेखा) और तीन प्रभाग/अनुभाग (बोर्ड अनुभाग, दावा सिमित और कंप्यूटर प्रभाग) थे। विकसित भूमिका और कार्यों के साथ, डीआईसीजीसी में वर्तमान में छह विभाग और बारह प्रभाग/कक्ष हैं।



हम क्या करते हैं?

दावा निपटान विभाग

जब भी किसी बैंक को बैंकिंग पर्यवेक्षक (भारतीय रिज़र्व बैंक) द्वारा निर्देश दिया जाता है और ऐसे निर्देश संबंधित बैंक के जमाकर्ताओं द्वारा जमाराशि तक पहुंच को प्रतिबंधित करते हैं; या जब भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी बैंक के समापन/परिसमापन का आदेश निकाला जाता है, तो डीआईसीजीसी प्रत्येक पात्र जमाकर्ता को समान क्षमता में और समान अधिकार में बैंक में रखी गई जमाराशि के बराबर राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होता है, जिसकी अधिकतम सीमा ₹ 500,000 (लगभग USD 6000) होती है। इसके अलावा, जब सक्षम प्राधिकारी द्वारा समामेलन की योजना तैयार की जाती है और ऐसी योजना में जमाकर्ताओं को एक राशि का भुगतान करने की परिकल्पना की जाती है जो बैंक के पास मूल राशि और निर्दिष्ट राशि से कम होती है, तो डीआईसीजीसी बैंक के प्रत्येक पात्र जमाकर्ता को भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होता है। अधिदेश के निर्वहन में, डीआईसीजीसी बीमित बैंकों या बीमित बैंकों के परिसमापकों, जैसा भी मामला हो, द्वारा प्रस्तुत दावों को सत्यापित करने के लिए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म की सेवाओं को नियक्त करता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट और अपने स्वयं के आंतरिक सत्यापन के आधार पर, डीआईसीजीसी प्रत्येक पात्र जमाकर्ता को भूगतान करता है। जब भी परिसमापक/बैंक से दावा प्राप्त होता है और जब दावा भूगतान जारी किया जाता है, तो परिसमाप्त बैंकों और निर्देशाधीन बैंकों दोनों के जमाकर्ताओं को इलेक्ट्रॉनिक संदेशों के माध्यम से सूचित किया जाता है। दावा भुगतान की स्थिति के बारे में जानकारी डीआईसीजीसी वेबसाइट पर होस्ट किए गए क्लेम स्टेटस ट्रैकर ऐप (दावा सूचक) पर भी उपलब्ध है। सेवा वर्तमान में निर्देशाधीन बैंकों के लिए उपलब्ध है और जल्द ही परिसमाप्त बैंकों तक विस्तारित की जाएगी।

जमा बीमा पर एक नज़र: वैश्विक दृष्टिकोण

कवरेज अनुपात


कवरेज अनुपात (मूल्य के संदर्भ में), या बीमित जमा अनुपात, बीमित जमा के कुल मूल्य का कुल पात्र या निर्धारण योग्य जमा से अनुपात है। यह जमा बीमाकर्ताओं और इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ़ डिपॉज़िट इंश्योरर्स (आईएडीआई) द्वारा जमा बीमा प्रणाली के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले संकेतकों में से एक है। भारत के लिए यह अनुपात 2019 से एपीआरसी मध्यिका मूल्य से अधिक रहा है और 2020 से वैश्विक औसत के साथ संरेखित है (चार्ट)।



स्रोत: आईएडीआई वार्षिक सर्वेक्षण और डीआईसीजीसी की गणना।

आरक्षित अनुपात

भारत के लिए आरक्षित अनुपात (बीमित जमाराशियों के लिए जमा बीमा निधि का अनुपात) हाल की अवधि में औसत एपीआरसी और वैश्विक औसत के लगभग समान था (चार्ट)।



स्रोत: आईएडीआई वार्षिक सर्वेक्षण और डीआईसीजीसी की गणना।

एपीआरसी के अधिकांश सदस्यों के रिज़र्व अनुपात में 2018 और 2022 के बीच सामान्य वृद्धि देखी गई और यह 2022 में 0.2 से 13.9 प्रतिशत की सीमा में था (चार्ट)। इसके अलावा, यह देखा गया है कि विकसित अर्थव्यवस्थाओं ने अपेक्षाकृत कम और स्थिर रिज़र्व अनुपात बनाए रखा, जबिक उभरती अर्थव्यवस्थाओं में उच्च और परिवर्तनशील अनुपात थे। भारत का रिज़र्व अनुपात 2020 से 2022 के दौरान लगातार बढा है।

चार्ट: एशिया प्रशांत क्षेत्र में रिज़र्व अनुपात (%)

	2018	2019	2020	2021	2022
न्यूनतम	0.18	0.20	0.21	0.23	0.24
अधिकतम	17.00	18.02	20.01	12.28	13.94
माध्य	3.15	3.29	3.50	3.02	3.46
मध्येका	0.48	0.95	1.63	1.62	2.02
भारत	2.78	1.61	1.70	1.81	2.02

स्रोत: आईएडीआई वार्षिक सर्वेक्षण और डीआईसीजीसी की गणना।

अंतर्राष्ट्रीय विकास और आउटरीच

भारत में जमा बीमा के लिए नए दृष्टिकोण

निगम के अध्यक्ष और भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर, डॉ. माइकल डी. पात्र ने जून 2024 में रोम में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ डिपॉजिट इंश्योरर्स (आईएडीआई) की कार्यकारी परिषद की 79वीं बैठक के दौरान '<u>भारत में जमा बीमा के लिए नए</u> दृष्टिकोण' पर एक व्याख्यान दिया।

वैश्विक मानक-निर्धारक और दुनिया भर में प्रभावी जमा बीमा प्रणाली बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले वैश्विक मंच के रूप में आईएडीआई की भूमिका की सराहना करते हुए, अध्यक्ष ने जमाकर्ताओं के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच तैयार करने के लिए भारत में हाल ही में की गई नीतिगत पहलों पर प्रकाश डाला, विशेष रूप से जोखिम प्रबंधन, जन जागरूकता, डिजिटलीकरण और ईएसजी नीति के संबंध में।

जोखिम प्रबंधन के संबंध में, ट्रेजरी संचालन को आस्ति-देयता प्रबंधन उपकरण, तरलता और संकेन्द्रण अनुपात की वास्तविक समय निगरानी और समय-समय पर मूल्य-जोखिम और परिदृश्य (सिनेरियों) विश्लेषण के साथ सुदृढ़ किया जा रहा है। एक समर्पित बाजार जोखिम रिज़र्व भी बनाया गया है।

बोर्ड द्वारा स्वीकृत संचार नीति के समर्थन से, जमा बीमा से संबंधित जानकारी के निरंतर प्रसार के लिए जन जागरूकता अभियान को नया रूप दिया जा रहा है और उसे आगे बढ़ाया जा रहा है। सभी परिचालनों का डिजिटल रूपांतरण चल रहा है, जिसमें डेटा प्रबंधन, प्रक्रिया अनुकूलन, व्यवसाय विश्लेषण और साइबर सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, जिसमें बाजार की सर्वश्रेष्ठ तकनीकें शामिल हैं।

इन-हाउस रिकवरी डैशबोर्ड अनुपालन को ट्रैक करने और परिसमापकों द्वारा परिसंपत्ति विवरण और भुगतानों के प्रमाणीकरण को सक्षम बनाता है। डीआईसीजीसी एक व्यापक ईएसजी नीति तैयार करने की संभावना तलाश रहा है।

जमाकर्ताओं को भुगतान पर डीआईसीजीसी -पीडीआईसी की द्विपक्षीय बैठक

डीआईसीजीसी और फिलीपींस डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन (पीडीआईसी) ने आईएडीआई-एपीआरसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान भुगतान संचालन के बारे में चर्चा और अनुभव का आदान-प्रदान करने के लिए 12 अगस्त को एक द्विपक्षीय बैठक की।

डीआईसीजीसी ने संयुक्त कार्य बल की 21वीं बैठक की मेजबानी की

सम्मेलन के दौरान 14 अगस्त को रणनीतिक प्राथमिकताओं और कार्य योजनाओं (जेटीएफ़) पर एपीआरसी संयुक्त कार्य बल की 21वीं बैठक आयोजित की गई।

डीआईसीजे अधिकारियों ने डीआईसीजीसी का दौरा किया

जापान के डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन (डीआईसीजे) के विरष्ठ कार्यकारी निदेशक, श्री हिरोआकी कुवाहारा और ईसुके सुजुकी ने डीआईसीजे और डीआईसीजीसी के कामकाज पर अनुभवों का आदान-प्रदान करने के लिए 16 अगस्त को द्विपक्षीय बैठक के लिए मुंबई में डीआईसीजीसी मुख्यालय का दौरा किया।

2024 भारत वित्तीय स्थिरता मूल्यांकन कार्यक्रम (एफएसएपी)

डीआईसीजीसी भारत के लिए चल रहे 2024 वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन कार्यक्रम (एफ़एसएपी) में भाग ले रहा है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक द्वारा संयुक्त रूप से 5 वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है। इस साल का एफएसएपी भारत के लिए अब तक तीसरा है। पहला और दूसरा 2011-12 और 2017-18 में आयोजित किया गया था।

एफएसएपी किसी देश के वित्तीय क्षेत्र का एक व्यापक और गहन विश्लेषण है, जिसके दो मुख्य घटक हैं - वित्तीय स्थिरता आकलन और वित्तीय विकास आकलन।



SAFETY NET

Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation(Wholly owned subsidiary of the Reserve Bank of India)



leeue 2



Inside This Issue

- DICGC hosts IADI-APRC International Conference
- Governance
- DICGC Initiatives
- Public Awareness
- Know your DICGC
- Deposit Insurance at a glance:
 A Global Outlook
- International Development and Outreach



Editor's Note



Anup Kumar Editor, Chief General Manager DICGC

We are pleased to release the second issue of the Safety Net. This issue carries a special report on public awareness initiatives by DICGC. Two new initiatives include the launch of

website and the claim status tracker App. DICGC released its Annual Report for 2023-24 during the period.

Newsletter also includes coverage on the IADI-APRC International Conference hosted at Jaipur by DICGC and bilateral meetings with the deposit insurers of Japan and Philippines, and the APRC JTF meeting as part of international cooperation and exchange of information. Some interesting facts on DICGC has been covered under 'Know your DICGC'.

Wishing you a Happy New Year 2025.

DICGC hosts IADI-APRC International Conference

DICGC hosted the International Association of Deposit Insurers (IADI) - Asia Pacific Regional Committee (APRC) International Conference on August 12-14, 2024 in Jaipur, India with the theme "Navigating the evolving Financial Landscape: Emerging Challenges for Deposit Insurers and the Significance of Crisis Preparedness,". The objective of the Conference was to deliberate on the challenges, implications and outlook for deposit insurance and the financial safety net framework in the context of evolving financial landscape and climate change-related financial risks, and the overarching significance of crisis preparedness and management policy.

The Conference was attended by distinguished representatives of the IADI and the APRC Secretariat, CEOs and officials of deposit insurance agencies/deposit insurance department in the central bank of 12 countries, eminent speakers, panelists and panel moderators from India and abroad, senior invitees from select major banks in India, senior officials from the Reserve Bank of India (RBI) and DICGC.





Dr. Michael D. Patra, Deputy Governor, RBI and Chairman, DICGC gave his keynote speech on 'Navigating Emerging Challenges for Deposit Insurers and Fortifying Crisis Preparedness'. He highlighted the opportunities and challenges thrown up by digitalisation of financial services, digital innovations in currencies (CBDCs) and tokenised deposits, and climate change-related financial risks. He urged

deposit insurers to enhance our collective understanding of the emerging challenges so that we adapt, prepare and remain relevant and meaningful in inspiring public confidence and preserving financial stability.



Mr. M Rajeshwar Rao, Deputy Governor, RBI gave the valedictory address on 'Deposit Insurance: Keeping Pace with the Changing Time'. He emphasised the fact that deposit insurance and deposit insurers are essential components of a stable and trustworthy financial system. It has become imperative for the regulators and the deposit insurers to realign their

policies and regulations to enable banks to better manage and enhance their risk management capabilities, especially liquidity risk management.



Mr. Swaminathan J, Deputy Governor, RBI gave a talk on 'Financial Stability in the Emerging Financial Technology Landscape'. He indicated that technology-induced systemic risk has become one of the key

areas of concern for the financial sector. By adopting a proactive, risk-based approach, including enhanced oversight, risk-based premiums, reliance on supervisory ratings, faster claim settlements, and industry collaboration, deposit insurers can effectively manage these risks.



Ms Eva Hüpkes, Secretary General, IADI spoke on '<u>Digital</u> transformation – the future of deposits in a tokenised world'.

Mr. Alejandro López, President and Chair of the Executive Council, IADI gave his opening address virtually and Mr. Hidenori Mitsui, Chairperson, APRC and Governor, Deposit Insurance Corporation of Japan gave his opening remarks via video recording.

The Conference had four panel discussions. The first Panel on 'Deposit Insurance in the Digital Currency Era' explored the benefits and challenges of digital innovation, particularly CBDCs, in the context of deposit insurance and financial stability. Panel 2 on 'Tokenised Deposits' examined how the unique characteristics of tokenized deposits may require adaptations in the existing deposit insurance frameworks. Third Panel on 'Deposit Insurers and Climate Change-Related Financial Risks' deliberated on ongoing efforts to understand the impact of climate-change related financial risks on financial stability and deposit insurance. Panel 4 on 'Enhancements in Crisis Preparedness and Management Policies for Deposit Insurance: Case Studies from Deposit Insurers" presented case studies from deposit insurers and RBI. Two eminent speakers spoke on the topics 'Futuristic Developments in Fintech and its impact on deposit insurance' and 'The 'Finternet' - a set-up of multiple interconnected financial ecosystems - as the future financial system'.



Governance

New Directors on DICGC's Board

DICGC proudly welcomes three new Directors as its Board members. The Directors are Shri Arnab Kumar Chowdhury, Executive Director, RBI, Prof. Partha Ray, Director, National Institute of Banking Management (NIBM) and Dr. Tarun Agarwal.







Prof. Partha Ray



Dr. Tarun Agarwal

Risk Management Committee of the Board established

As decided by its Board, DICGC has set up a Risk Management Committee of the Board (RMCB) with Shri Pankaj Sharma, Joint Secretary, Department of Financial Services, Ministry of Finance as the Chairperson and Shri Arnab Kumar Chowdhury, ED, RBI, Smt. Sudha Balakrishnan, Chief Financial Officer (CFO), RBI and Prof. Partha Ray, Director, NIBM as members. Shri Anup Kumar, CGM, DICGC will be the member secretary. A Risk Management Cell has been set up by the Corporation to provide secretarial support to the RMCB. The Terms of Reference of the RMCB are:

- To recommend to the Board strategies and policies related to internal control framework for mitigation of key risks.
- To monitor contingency planning and crisis management policies/procedures and their effectiveness.
- To review the organizational structure, budget, resources and performance of internal risk management function.
- To have oversight over Executive Risk Management Committee of the Corporation.
- Any other related matter that may be assigned by the Board.

Board Meeting Management Solution

DICGC implemented a comprehensive Board Meeting Management Solution for management of Board meetings in a paperless, collaborative and a convenient way. The solution integrates digital tools for secure and seamless sharing of critical information and documents by the board members and provides real time updates, annotation facility, chat option, and an intuitive user interface.

DICGC Initiatives

Chairman launched the following in the 272nd Board Meeting of the Corporation held on August 28: (a) Inaugural issue of DICGC Semi-Annual Newsletter "Safety Net"; (b) DICGC Annual Hindi Magazine "Abhivyakti"; (c) Depositors' Claims Status Tracker "Daava Soochak"; and (d) QR Based File Management System for internal usage.





Public Awareness

New Website Inaugurated

Chairman, DICGC inaugurated DICGC's new website on November 5, 2024. Harnessing the power of the latest technology, the new vibrant website presents information in a streamlined manner, through an intuitive interface, easier navigation and coherent information architecture. For improved user experience, multiple aspects such as the use of gradient colour palette, extensive iconography, images, videos, visualisations, etc. have been added. Further, various functionalities have been incorporated, such as Al chatbot, website level search, Progressive Web App (PWA) technology to facilitate access of the website through mobile browser, as also various functions for the differently abled, such as text magnifier, reading mask for assisting people with low vision, text scaling and content scaling for assisting people with dyslexia. Additionally, public awareness video messages, key statistics both in INR and USD, structured FAQs etc. have also been incorporated. This new website is expected to serve the information needs of all stakeholders especially new/first time users of the banking system (https://website.dicgc.org.in/).



"Daava Soochak" - The Claim Status Tracker

DICGC launched a claim status tracker named 'Daava Soochak' on its website on August 28, 2024. Through this App, depositors can check the status of their claim. The facility is presently available for banks under All Inclusive Direction (AID) of the Reserve Bank w.e.f, April 1, 2024 and will be shortly extended to liquidated banks.

Public Awareness Survey 2024

The Public Awareness Survey 2024, conducted by the DICGC with guidance from a Technical Advisory Committee, aimed to assess public understanding of deposit insurance and DICGC's role. The agency carried out the survey fieldwork across five Indian states and gathered insights from approximately 5000 respondents. It revealed varying levels of awareness about deposit insurance, DICGC's functions, and banking safety.

While nearly all respondents felt their bank deposits were safe, 73.81% were familiar with deposit insurance, and 63.67% knew about the functioning of DICGC. A small percentage accurately understood the maximum insurance coverage and premium responsibilities. The findings underscore the need for enhanced public awareness campaigns and better information dissemination. The report recommends targeted initiatives to clarify key concepts, improve multilingual content accessibility, and strengthen collaboration with banks to ensure customers are well-informed about deposit insurance. Addressing these issues is crucial for building public confidence in the financial safety net provided by DICGC.

DICGC Annual Report, 2023-24

DICGC released its 62nd Annual Report 2023-24 on September 19, 2024. The first Chapter gives an overview of DICGC including its history, legal framework, and regulations governing the deposit insurance scheme. The second Chapter on "Management Discussion and Analysis," outlined major policy initiatives including strengthening governance, improving information sharing, increasing public awareness, and initiating digital transformation.

The full report is available at (https://www.dicgc.org.in/PUB_AnnualReports.html) or



DICGC Website traffic

Consequent to the displaying of DICGC's QR Code and Logo on insured banks website since September 2023, traffic to DICGC website has increased twenty-fold. On average, 125,000 users visited the website in a month, of which 50% were new users. More than three-fourth of the users accessed the website on their mobile device. The pages most visited after the homepage were that of 'List of insured banks', and 'A guide to deposit insurance'. While majority users (Top five) from India hailed from the cities of Mumbai, Chennai, Delhi, Jaipur and Ahmedabad; internationally top five visitors were from Germany, Singapore, Saudi Arabia, UAE, and the USA.

Know your DICGC

Departments in DICGC

In the initial years, DICGC had four departments (Deposit Insurance, Non-Industrial Credit Guarantee, SSI Credit Guarantee and Administration & Accounts) and three divisions/sections (Board Section, Claims Committee, and Computer Division). With the evolving role and functions, DICGC currently has six Departments and twelve Divisions/Cells.

Divisions/Cel

Claims Settlement Department (CSD)
Department of Accounts and Taxation (DAT)
Department of Information Technology (DIT)
Human Resources Management Department (HRMD)
Insurance Operations Department (IOD)
Secretary's Department (SD)

Audit Budget Coordination Cell (ABCC)
Communications Cell
Complaints Redressal Cell (CRC)
IADI and External Relations Cell
Information Management and
Data Analytics Cell (IMDAC)
Legal Cell
Official Language/Rajbhasha Cell
Project Management Cell
Recovery Management Cell (RMC)
Research, Policy and Information
Cell (RPIC)
Risk Management Cell
Treasury (Front, Mid and Back)
Offices

What we do?


Claims Settlement Department

Whenever a bank is placed under directions by the banking supervisor (Reserve Bank of India) and such directions restrict the access of deposits by the depositors of the bank concerned; or whenever an order of winding up/liquidation of a bank is drawn by the competent authority, DICGC becomes liable to pay each eligible depositor an amount equivalent to the deposits held in the same capacity and in the same right with the bank, subject to a ceiling of ₹ 500,000 (approx. USD 6000). Furthermore, when a scheme of amalgamation is drawn by the competent authority and such a scheme envisages payment of an amount to the depositors which is less than the original amount with the bank and also the specified amount, DICGC becomes liable to pay each eligible depositor of the bank. In discharge of the mandate, DICGC employs the services of a chartered accountant firm to verify the claims submitted by the insured banks or the liquidators of insured banks, as the case may be. Based on the report submitted by the chartered accountant firm and its own internal validation, DICGC pays each eligible depositor. Depositors of both liquidated banks and banks under directions are informed via electronic messages whenever the claim is received from the liquidator/bank and also when the claim payment is released. Information about the status of claim payment is also available on claim status tracker App (Daava Soochak) hosted on DICGC website. Service is presently available for banks under direction and will be shortly extended to liquidated banks.

Deposit Insurance at a glance: A Global Outlook

Coverage Ratio


Coverage ratio (in terms of value), or the Insured Deposit Ratio, is the ratio of total value of insured deposits to the total eligible or assessable deposits. It is one of indicators used by deposit insurers and the International Association of Deposit Insurers (IADI) to assess the performance of the deposit insurance system. This ratio for India has been higher than the APRC median value since 2019 and aligned with the global median since 2020 (Chart).



Source: IADI Annual Survey and DICGC's calculations.

Reserve Ratio

Reserve Ratio (the ratio of the Deposit Insurance Fund to Insured Deposits) for India was almost the same as the median APRC and global medians in the recent period (Chart).



Source: IADI Annual Survey and DICGC's calculations.

The Reserve Ratio of most APRC members showed a general upward trend between 2018 and 2022 and was in the range of 0.2 to 13.9 per cent in 2022 (Table). Further, it is observed that developed economies maintained relatively lower and stable reserve ratios, while emerging economies had higher and variable ratios. India's reserve ratio consistently increased during 2020 to 2022.

Table: Reserve Ratio in the Asia Pacific Region (%)

	2018	2019	2020	2021	2022
Minimum	0.18	0.20	0.21	0.23	0.24
Maximum	17.00	18.02	20.01	12.28	13.94
Mean	3.15	3.29	3.50	3.02	3.46
Median	0.48	0.95	1.63	1.62	2.02
India	2.78	1.61	1.70	1.81	2.02

Source: IADI Annual Survey and DICGC's calculations.

International Development and Outreach

New Vistas for Deposit Insurance in India

Dr. Michael D. Patra, Chairman of the Corporation and Deputy Governor of Reserve Bank of India gave a talk on 'New Vistas for Deposit Insurance in India' during the 79th meeting of Executive Council of the International Association of Deposit Insurers (IADI) in Rome in June 2024.

Commending the IADI's role as a global standard-setter and a global forum contributing significantly to building effective deposit insurance systems across the world, Chairman highlighted the recent policy initiatives undertaken in India for designing a strong safety net for depositors, particularly with regard to Risk Management, Public Awareness, Digitisation, and ESG Policy.

As regards risk management, treasury operations are being reinforced with asset-liability management tools, real time monitoring of liquidity and concentration ratios, and periodic value-at-risk and scenario analyses. A dedicated market risk reserve has also been created.

Backed by a Board approved communication policy, public awareness campaigns are being refashioned and stepped up for continuous dissemination of deposit insurance related information. Digital transformation of all operations is underway with a focus on data management, process optimisation, business analytics and cyber security with best-in-class market technologies.

An in-house recovery dashboard enables tracking compliances, and authentication of asset details and payments by liquidators. DICGC is exploring framing of a comprehensive ESG policy.

DICGC - PDIC Bilateral Meeting on Reimbursement

DICGC and Philippines Deposit Insurance Corporation (PDIC) held a bilateral meeting on August 12 to discuss and exchange experience about payout operations on the sidelines of the IADI-APRC International Conference.

DICGC hosts 21st Meeting of Joint Task Force

The 21st meeting of the APRC Joint Task Force on Strategic Priorities and Action Plans (JTF) was held on August 14 on the side-lines of the Conference.

DICJ Officials visit DICGC

Mr. Hiroaki Kuwahara, Senior Executive Director and Eisuke Suzuki from Deposit Insurance Corporation of Japan (DICJ) visited DICGC Headquarters at Mumbai for a bilateral meeting on August 16 to exchange experiences on the functioning of DICJ and DICGC.

2024 India Financial Stability Assessment Programme (FSAP)

DICGC is participating in the ongoing 2024 Financial Sector Assessment Program (FSAP) for India, which is jointly conducted by International Monetary Fund and World Bank, once in 5 years. This year's FSAP is the third so far for India, the first and second were conducted in 2011-12 and 2017-18.

The FSAP is a comprehensive and in-depth analysis of a country's financial sector with two main components - the financial stability assessment and the financial development assessment.